

राजरथान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.3(1)साप्र / 2 / 13-पार्ट

जयपुर, दिनांक : 3 - SEP 2013

—: आदेश :-

श्री राजेश अरोड़ा, वरिष्ठ विधि रचनाकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी एफ श्रेणी की वरियता संख्या-56 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2030 है, के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में इस विभाग के आदेश प. 21(1)साप्र / 2 / 08, दिनांक 22.12.08 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ-717, गांधीनगर जयपुर के क्षतिग्रस्त होने के कारण एफ-198, गांधीनगर जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर पूर्वी शतों के अनुसार एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुन्नालाल शर्मा 2/9/13
(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलवटर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (वीथी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ13003005, दिनांक 15.7.2013 के क्रम में सूचनार्थ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० 'अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
10. संवंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास रिक्त करें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

||
(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव